असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 अप्रील, 2018

विभागीय पत्र संख्या-931 दिनांक-28.03.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान को प्रश्नगत विद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह प्रोपर्टी जो है अरबों-अरब रू0 की है और उसको 40 वर्षों से कब्जा करके रखा गया है । जब जमाबंदी रद्द हो गई, इन्होंने अभी बताया है, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिला पदाधिकारी से अनुरोध होगा । हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों ने मुंसिफ-2 के यहां मुकदमा कर दिया । हाईकोर्ट ने फैसला दिया स्कूल के पक्ष में और मुसिफ-2 के यहां अपील किया गया है, उसमें इंजेक्शन नहीं है, स्टेटस-को नहीं है, कब तक इसको माननीय मंत्री जी अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखते हैं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है और इस तरह के मामले बहुत सारे विद्यालयों के आते हैं तो जिला पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी हैं और उनसे अनुरोध किया गया है, मैं पुनः अनुरोध व्यक्तिगत रूप से कर दूँगा कि जितना जल्द हो उसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दीजिए । माननीय सदस्य जैसी सूचना दे रहे हैं कि अतिक्रमणकारी अतिक्रमण को लिगलाईज या रेगुलाईज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो वैसे में कहीं बीच में कोई अनावश्यक या गैर-कानूनी अपना हित न साध ले, इस बीच में तो सख्त निर्देश दे करके अतिक्रमणमुक्त करवाईए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : जी, मैं जिला पदाधिकारी से ....

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी ने उसका जमाबंदी रद्द कर दिया है, लेकिन उन्होंने कानूनी पेंच लगा दिया है हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध तो मैं जानना चाहता हूँ, अनुरोध शब्द कह रहे हैं, गवर्नमेंट अनुरोध करेगी, गवर्नमेंट आदेश करे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितने दिनों के अन्दर अतिक्रमणमुक्त करायेगी ? अनुरोध शब्द बुरी चीज है, गवर्नमेंट वील गीभ ऑर्डर, डौन्ट बी रिक्यूस्ट सर ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2592(श्री यदुवंश कुमार यादव)</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आज के सदन के मैन ऑफ दी डे या मैन ऑफ दी मैच शिक्षा मंत्री हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का जवाब उस अनुरूप नहीं है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : संयोग है, इसके पहले जब भी शिक्षा विभाग का प्रश्न आता था, आपलोग वाकआऊट कर जाते थे । आज पहली दफा मुझे कहने का मौका मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ये लोग आपके प्रश्न वाले दिन वाकआऊट कर जाते थे, इससे आपको सुविधा होती थी या असुविधा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : असुविधा होती थी ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, असुविधा होती थी । इनको परफोर्म करने का अवसर नहीं मिलता था महोदय ।

अध्यक्ष : जिस-जिस दिन माननीय मंत्री जी का प्रश्न दिवस होता है, उस दिन ये अलग परिधान में आते हैं । चलिए अब यदुवंश कुमार यादव जी का सवाल है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-197 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा वैसे 1773 भूमिहीन एवं भवनहीन नये प्राथमिक विद्यालय जो उक्त विद्यालय के बसावट के 01 किलोमीटर परिधि के अन्तर्गत किसी अन्य प्राथमिक अथवा मध्य विद्यालय में संचालित हो रहे थे, उनका संविलियन सम्बद्ध विद्यालय में करने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय के आलोक में सुपौल जिला के पिपरा प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत पथरा उत्तर के प्राथमिक विद्यालय तारटोला दसियाबही को उर्दू मध्य विद्यालय दसियाबही में, प्राथमिक विद्यालय सन्यासी टोला जोल्हनिया को प्राथमिक विद्यालय मु0 टोला पू0प0 निर्मली में तथा प्राथमिक विद्यालय रहिका टोला जोल्हनिया को प्राथमिक विद्यालय मु0 टोला पू0प0 निर्मली में संविलियन किया गया है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, यह भवनहीन तो है लेकिन भूमिहीन नहीं है और भूमि पहले भू-दाता ने निबंधित कर दिया था लेकिन गलत प्रतिवेदन देकर के भूमिहीन बताकर के इस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया और ये सभी पिछड़े, दलित वर्ग का टोला है । दूसरे दूर के टोले में जोड़ने से भारी कठिनाई होती है और गलत ढंग से इस दलित टोले को प्रताड़ित करने के लिए यहां शिक्षण कार्य न चले, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने गलत प्रतिवेदन देकर के विद्यालय को वहां से अलग हटाया है, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिस विद्यालय को भूमिहीन बताया गया है, उनका कहना है कि उनके पास भूमि उपलब्ध है और इस हालत में अगर उसको भूमिहीन बताकर के किसी पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है तो आप किसी वरीय पदाधिकारी से जॉच कराकर अगर गलत प्रतिवेदन है तो कार्रवाई करिए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : ठीक है महोदय ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, निबंधन पत्र हमारे पास है, हम दे सकते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य से सहयोग ले लीजिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : शक्ति जी, पूरक पूछिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, तीन-चार प्रश्न के उत्तर में सम्मेलन शब्द का जिक्र किया है । सरकार की मंशा है और सरकार की इच्छा है कि हम एजुकेशन इमपावर्डमेंट के दिशा में हरेक टोले में जहां 400 की आबादी है, 500 की आबादी है, वहां विद्यालय खोलें लेकिन सरकार विद्यालय खोलने के बजाय जहां भूमि उपलब्ध है, उसको जोड़कर के वहां से शिक्षा को दूर हटाना चाहती है तो क्या सरकार इस दिशा में जहां ऑलरेडी भूमि उपलब्ध है वहां जो सम्मेलन कराने का, उसको तो आप खतम करिए न ।

अध्यक्ष : शक्ति जी, सम्मेलन तो कोई असंसदीय शब्द भी नहीं है और सम्मेलन तो सकारात्मक शब्द है, मेल-जोल का आपसी संबंध, प्रगाढ़ बनाने का शब्द है, मंत्री जी तो अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, उससे तो टोला कट जा रहा है ।

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, जितने भी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बिहार में बने हैं, उसमें अधिकांश कमजोर वर्गों के टोले में बने हैं और वहां पर इतनी गरीबी है कि वह जमीन नहीं दे सकते । इन्हीं टोलों के स्कूल को फिर दूसरे टोले में जहां पहले से स्कूल है, भेज दिया गया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसकी जॉच करायेगी कि कितने ऐसे विद्यालय है, जहां गरीब लोग बसते हैं और गरीबी की वजह से वहां जमीन नहीं दे सके हैं और विद्यालय उस टोले से 3 कि0मी0 दूर चला गया है ?

अध्यक्ष : गफूर साहेब, अगर जमीन नहीं होगी तो विद्यालय भवन बनेगा कहां, यह भी तो बात है । यह आप कहिए कि जहां कोई लोग जमीन नहीं दे पा रहे हैं वहां कोई सरकारी भूमि खोजी जाय, यह बात हो सकती है न । आप शायद लेट आये हैं इससे पहले के एक प्रश्न में यह मामला आया था ।

तारांकित प्रश्न सं0-2593(श्री राज किशोर सिंह)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में वर्तमान में विज्ञान विषय के 2 शिक्षक कार्यरत है जबकि गणित विषय के शिक्षक का पद रिक्त है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संगत नियोजन नियमावली में नियोजन की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान को रीड डाऊन कर देने के कारण तत्काल शिक्षकों के नियोजन एवं प्रतिनियोजन करने में कठिनाई है ।

इस क्रम में विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 अन्तर्गत अतिथि शिक्षक(गेस्ट फैकल्टी) मानदेय पर रखने का विकल्प संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति को उपलब्ध है ।